



BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED

F 196-199, F 178 & E 188, Bichhwal Industrial Area, Bikaner, Rajasthan, India - 334006
T: +91-151-2250350 | F: +91-151-2251814 | E: cs@bikaji.com | W: www.bikaji.com
CIN: L15499RJ1995PLC010856 | GST No.: 08AAICS1030P1Z5

Ref: BFIL/SEC/2023-24/17

Date: May 24, 2023

To
Dept of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street, Fort,
Mumbai 400 001 (Maharashtra)
Scrip Code: 543653

The Listing Department
National Stock Exchange of India Ltd.
Exchange Plaza, C-1, Block G,
Bandra Kurla Complex, Bandra (East),
Mumbai 400 051 (Maharashtra)
Trading Symbol: BIKAJI

Subject: Intimation of Newspaper Advertisement of Audited Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended on March 31, 2023

Dear Sir / Madam,

Pursuant to the 47 and other applicable regulations of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("the Listing Regulations"), as amended from time to time, the Audited Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended on March 31, 2023 is published in "**Financial Express**" in English language newspaper and in "**Nafa Nuksan**" in vernacular language newspaper on May 24, 2023. The copies of the newspaper advertisement are enclosed for reference.

The above intimation will also be hosted on the website of the Company and the same can be accessed at www.bikaii.com

You are kindly requested to take the same on record.

Thanking You

Yours faithfully,
For Bikaji Foods International Limited

Rahul Joshi
Head - Legal and Company Secretary
Membership No.: ACS 33135

Enclosure: As above

BEFORE THE HONOURABLE ADDITIONAL SUBORDINATE JUDGE OF TIRUPUR.

I.A.No. 1 OF 2023 IN O.S.No. 202 OF 2021. Mis. Leon International Rep by its Power Agent Mr.N.Ganabathy No.167, union Mill Road, Near Pannirendar Kalyanamandapam, Opp To Sangeetha Theatre, Tirupur - 641 601. ...Vs... ...Plaintiff

BEFORE THE HONOURABLE ADDITIONAL SUBORDINATE JUDGE OF TIRUPUR.

I.A.No. 4 OF 2023 IN O.S.No. 500 OF 2018. Mis. Leon International Rep by its Power Agent Mr.N.Ganabathy No.167, union Mill Road, Near Pannirendar Kalyanamandapam, Opp To Sangeetha Theatre, Tirupur - 641 601. ...Vs... ...Plaintiff

M/s. Malwa Industries, Rep by its Director Mr.Milan Mehra, D.No.230, Industrial Area-A, Ludhiana, Punjab. ...Defendant

M/s. Aathya Fashions, Rep by its Director Mr.Rashi Joshi, Street No.1, Priya Colony Village Bajra, Rohan Road Ludhiana, Punjab. ...Defendant

PUBLIC NOTICE

Please take notice that the above said case is posted for your appearance on 02.06.2023. The Hon'ble Court has ordered notice to the Defendant which was posted for your appearance on 02.06.2023 before the above Hon'ble Court at 10.30 am.

PUBLIC NOTICE

Please take notice that the above said case is posted for your appearance on 02.06.2023. The Hon'ble Court has ordered notice to the Defendant which was posted for your appearance on 02.06.2023 before the above Hon'ble Court at 10.30 am.

-By Court Order- E.BUBESH.,Bsc.,L.L.B., Advocate & Notary Tirupur - 1, Tamilnadu.

-By Court Order- E.BUBESH.,Bsc.,L.L.B., Advocate & Notary Tirupur - 1, Tamilnadu.

DEMAND NOTICE Under Section 13(2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets And Enforcement of Security Interest Act, 2002 (the said Act), read with Rule 31(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (the said Rules). In exercise of powers conferred under Section 13(2) of the said Act read with Rule 3 of the said Rules, the Authorised Officer of IIFL Home Finance Ltd. (IIFL HFL) (Formerly known as India Infoline Housing Finance Ltd.) has issued Demand Notice under section 13(2) of the said Act, calling upon the Borrower(s), to repay the amount mentioned in the respective Demand Notice(s) issued to them.

Table with 3 columns: Name of the Borrower(s) / Guarantor(s), Demand Notice Date & Amount, Description of Secured asset (immovable property)

If the said Borrower fail to make payment to IIFL HFL as aforesaid, IIFL HFL may proceed against the above secured assets under Section 13(4) of the said Act, and the applicable Rules, entirely at the risks, costs and consequences of the Borrowers. For further details please contact to Authorised Officer at Branch Office : Scp 21, 5th Floor,Ludhiana Ferozganthi Market, Ludhiana, Punjab - 141001 or Corporate Office : IIFL Tower, Plot No. 96, Udyog Vihar, Ph-IV Gurgaon, Haryana.

Kirloskar Industries Limited

A Kirloskar Group Company Registered Office: Office No. 801, 8th Floor, Cello Platina, Ferguson College Road, Shivajinagar, Pune 411 005 (India) CIN: L70100PN1978PLC088972



EXTRACT OF STANDALONE & CONSOLIDATED AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31 MARCH 2023 (₹ in Lakhs) Table with 7 columns: Sr. No., Particulars, Standalone (Quarter Ended, Year Ended), Consolidated (Quarter Ended, Year Ended)

Notes: 1. The above results are reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meetings held on 23 May 2023 and subjected to audit carried out by the Statutory Auditors of the Company.

Place : Pune Date : 23 May 2023 Tel: +91-(0)20-2970 4374 Fax: +91 (0)20-2970 4374 Email: investorrelations@kirloskar.com Website: www.kirloskarindustries.com

Canara Bank Premises & Estate Section, Circle Office, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226019. PREMISES REQUIRED Offers are invited under from the owners of commercial space preferably in the Ground floor and ready for occupation with required Power load, for Branch at the following location:

Canara Bank Premises & Estate Section, Circle Office, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226019. PREMISES REQUIRED Offers are invited under from the owners of commercial space preferably in the Ground floor and ready for occupation with required Power load, for Branch at the following location:

Canara Bank Premises & Estate Section, Circle Office, Vipin Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226019. PREMISES REQUIRED Offers are invited under from the owners of commercial space preferably in the Ground floor and ready for occupation with required Power load, for Branch at the following location:

FORM INC-25A

Advertisement to be published in the newspaper for conversion of public company into a private company Before the Regional Director Ministry of Corporate Affairs Northern Region, Delhi & Haryana In the matter of the Companies Act, 2013, Section 14 of the Companies Act, 2013 and Rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

FORM INC-25A

Advertisement to be published in the newspaper for conversion of public company into a private company Before the Regional Director Ministry of Corporate Affairs Northern Region, Delhi & Haryana In the matter of the Companies Act, 2013, Section 14 of the Companies Act, 2013 and Rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

METRO BRANDS LIMITED

Registered office: 401, Zillion, 4th Floor, LBS Marg, & CST Road Junction, Kurla (West), Mumbai - 400 070. Website: www.metrobrands.com. Email: investor.relations@metrobrands.com. Telephone No.: 022 2654 7700, CIN: L19200MH1977PLC019449

EXTRACT OF STATEMENT OF AUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2023. Table with 6 columns: Sr. No., Particulars, Quarter Ended (31.03.2023, 31.12.2022, 31.03.2022), Year Ended (31.03.2023, 31.03.2022)

Notes: 1. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter and year ended March 31, 2023, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the said results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com) and on the Company's website, www.metrobrands.com.

INDIA'S FAVOURITE SNACKING PARTNER


BIKAJI FOODS INTERNATIONAL LIMITED Registered Office: F 196 -199, F 178 & E 188 Bichhwal Industrial Area, Bikaner Rajasthan 334006 CIN : L15499RJ1995PLC010856 Tel.:+91 151-2250350, E-mail: cs@bikaji.com, Website: www.bikaji.com

Extract of Audited Consolidated Financial results for the quarter and year ended March 31, 2023. Table with 5 columns: Particulars, Quarter Ended (March 31, 2023, December 31, 2022), Year Ended (March 31, 2023, March 31, 2022)

The Key numbers of standalone audited financials results of the company are as under: Table with 5 columns: Particulars, Quarter Ended (March 31, 2023, December 31, 2022), Year Ended (March 31, 2023, March 31, 2022)

Notes: The above is an extract of detailed format for quarterly Audited Financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of the quarterly Financials Results are available on the website of the Stock Exchange where shares of the company are listed i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com and also on the website of the company i.e. www.bikaji.com

For and on behalf of the Board of Directors of Bikaji Foods International Limited CIN : L15499RJ1995PLC010856 Deepak Agarwal Managing Director DIN: 00192890 Place: Delhi Date: May 23, 2023



इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की सब्सिडी में अचानक कटौती से प्रभावित होगा उद्योग

नयी दिल्ली/एजेंसी

इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग के निकाय एसएमईवी ने कहा कि इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की सब्सिडी में अचानक कमी से भारी नुकसान हो सकता है। निकाय ने कहा कि इससे ईवी अपनाने में बढ़ी गिरावट हो सकती है और पूरा उद्योग लंबे समय के लिए प्रभावित हो सकता है। हालांकि, दूसरी ओर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी क्षेत्र में स्टार्टअप कंपनियों ने सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि यह ईवी उद्योग के लिए अपने दम पर खड़े होने का समय है। सरकार ने पिछले दिन इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर लागू फेम-2 (भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और उन्हें तेजी से अपनाना) योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को कम कर दिया था। यह फैसला एक जून 2023 को या उसके बाद पंजीकृत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर लागू होगा। भारी उद्योग मंत्रालय ने इन परिवर्तनों को



को कम कर दिया था।

यह फैसला एक जून 2023 को या उसके बाद पंजीकृत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर लागू होगा। भारी उद्योग मंत्रालय ने इन परिवर्तनों को

अधिसूचित किया है। इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए मांग प्रोत्साहन 10,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा होगा। सोसाइटी ऑफ मैनुफैक्चर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एसएमईवी) के महादेशक सोहंदर गिल ने बदलावों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, सब्सिडी में अचानक कमी से ईवी अपनाने में बढ़ी गिरावट आ सकती है, जिससे पूरे उद्योग पर काफी

अब उद्योग के लिए अपने पैरों पर खड़ा होने का वक है। उन्होंने उद्योग और सरकार से एक सुसंगत बुनियादी ढांचा विकास नीति बनाने की दिशा में काम करने का भी आह्वान किया।

समय तक असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत यह है कि भारतीय बाजार कीमत के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। ज्यादातर प्रेटोल टू-व्हीलर्स की कीमत एक लाख रुपये से कम है, और इसलिए इलेक्ट्रिक वाहन पर 1.5 लाख रुपये से अधिक खर्च करने की संभावना कम है। गिल ने हालांकि कहा कि भारी उद्योग मंत्रालय ने कुछ महाने पहले ही सब्सिडी कम करने का संकेत दे दिया था। दूसरी ओर, वोल्टअप के सह-संस्थापक और सीईओ सिद्धांत कांबा ने फेम सब्सिडी में कमी का स्वागत किया और कहा कि

रॉयल एनफील्ड की विशिष्ट इलेक्ट्रिक बाइक लाने की तैयारी

नयी दिल्ली/एजेंसी। रॉयल एनफील्ड एक 'विशिष्ट रूप से अलग इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल' विकसित कर रही है। कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) बी गोविंदराजन ने यह जानकारी देते हुए कहा कि इस उत्पाद के विकास के लिए कंपनी ने अपने चेन्नई संयंत्र के आसपास आपूर्तिकर्ता परिस्थितिकी तंत्र का निर्माण शुरू कर दिया है। रॉयल एनफील्ड, आयरशर मोटर्स का हिस्सा है। कंपनी ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) विनिर्माण और उत्पाद विकास सहित चालू वित्त वर्ष में 1,000 करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। इस निवेश का एक हिस्सा कंपनी के मौजूदा आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) पोर्टफोलियो से नए उत्पादों को उतारने पर खर्च किया जाएगा। गोविंदराजन ने कहा कि हमारी ईवी की यात्रा बेहतर प्रगति कर रही है। मैं कह सकता हूँ कि रॉयल एनफील्ड की ईवी यात्रा अब 'टॉप गियर' में है। हमारा इरादा रॉयल एनफील्ड के डीएनए वाली विशिष्ट इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने का है। कंपनी ने इसके लिए सक्षम टीम नियुक्त की है। कंपनी ने उत्पाद विकास, उत्पाद रणनीति, उत्पाद परीक्षण आदि क्षेत्र में निवेश करना शुरू किया है।

खराब विस्तृत परियोजना रिपोर्ट से हो रही सड़क दुर्घटनाएं

नयी दिल्ली/एजेंसी। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय कंपनियों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की खराब गुणवत्ता पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि मानकों पर पूरी नहीं उतरने वाली ऐसी रिपोर्ट के कारण परियोजना पूरी होने में देरी होती है और सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि ज्यादातर मामलों में राजमार्ग और अन्य सड़कों के निर्माण में लागत वृद्धि निर्णय लेने में देरी के कारण होती है। उन्होंने कहा, सबसे ज्यादा दोषी कोई है तो डीपीआर बनाने वाला। डीपीआर की गुणवत्ता सबसे बड़ा मुद्दा है। मंत्री ने कहा कि भारतीय कंपनियों द्वारा तैयार रिपोर्ट अच्छी नहीं होती है इसलिए अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को वरीयता दी जानी चाहिए। अपने स्पष्ट विचारों के लिए चर्चित केंद्रीय मंत्री ने कुछ सड़क हादसों के लिए डीपीआर की खराब गुणवत्ता को जिम्मेदार ठहराया। ठेकेदारों को डीजल से संचालित मशीनों के उपयोग को कम कर देना चाहिए।

टोयोटा किलॉस्कर ने अपने कर्नाटक संयंत्र में तीसरी पाली में काम शुरू किया

नयी दिल्ली/एजेंसी। टोयोटा किलॉस्कर मोटर (टीकेएम) ने अपनी उत्पादन क्षमता करीब 30 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए अपने कर्नाटक स्थित संयंत्र में तीसरी पाली शुरू की है। कंपनी के इस कदम का मकसद लोकप्रिय इनोवा क्रिस्टा और फॉर्च्यूनर जैसे मॉडलों के लिए 'इंतजार की अवधि' कम करना है। वाहन कंपनी ने अपनी विनिर्माण क्षमता को बढ़ाने के लिए बेंगलुरु के बाहरी इलाके बिदादी के अपने संयंत्र में एक मई से तीसरी पाली शुरू कर दी है। कंपनी ने इस संयंत्र में मौजूदा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए 90 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया है। इसके अलावा कारखाने में तीसरी पाली में काम करने के लिए 1,500 कर्मचारियों को नियुक्ति की गई है। टीकेएम के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं मुख्य संचार अधिकारी ने कहा कि हमने संयंत्र में तीसरी पाली शुरू की है। इस संयंत्र में इनोवा क्रिस्टा, इनोवा हाइक्रॉस और फॉर्च्यूनर जैसे मॉडलों का उत्पादन होता है। इन उत्पादों के लिए इंतजार की अवधि काफी लंबी है। हमारा प्रयास इसे कम करने का है।



टाटा मोटर्स ने अल्ट्रोज का सीएनजी वेरिएंट लांच किया, प्राइस 7.55 लाख रुपये से शुरू

नयी दिल्ली/एजेंसी। टाटा मोटर्स ने अपनी प्रीमियम हेंचबैक अल्ट्रोज का सीएनजी संस्करण पेश किया। इसके शुरुआत कीमत 7.55 लाख रुपये से शुरू होगी। टाटा मोटर्स ने बयान में कहा कि अल्ट्रोज आईसीएनजी 7.55 लाख रुपये और 10.55 लाख रुपये (शुरुआत कीमत) के बीच छह संस्करणों में उपलब्ध होगी। बयान के मुताबिक, यह गाड़ी 'टिचन-सिलेंडर' सीएनजी तकनीक और अन्य उन्नत सुविधाओं जैसे वॉयस-असिस्टेड इलेक्ट्रिक सनरूफ, वायरलेस चार्जर और एयर प्यूरीफायर से लैस है। कंपनी ने कहा कि टिचन-सीएनजी सिलेंडर संरक्षित वॉल्व और पाइप के साथ लगेज एरिया के नीचे स्थित हैं, जिससे नुकसान का जोखिम कम हो जाता है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक शेलेश चंद्र ने कहा कि ग्राहक किफायती और पर्यावरण के अनुकूल यात्रा अनुभव चाहते हैं और वह सीएनजी की व्यापक उपलब्धता के कारण इस वैकल्पिक ईंधन को चुन रहे हैं। टाटा मोटर्स ने गत वर्ष जनवरी में टियागो और टिगोर का सीएनजी वेरिएंट लांच किया था।

PERSONAL FINANCE / MONEY MATTERS

हेल्थ सर्विस सेक्टर में कार्यरत लोगों की सुरक्षा से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी, 7 साल की जेल और पांच लाख रुपये का जुर्माना



तिरुवनंतपुरम/एजेंसी

केरल में पिछले दिनों एक मरीज द्वारा एक डाक्टर की हत्या किए जाने के मद्देनजर प्रदेश सरकार ने चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों और मेडिकल छात्रों को सुरक्षा से जुड़े एक अध्यादेश को मंजूरी दे दी, जिसके तहत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्यरत लोगों के खिलाफ हिंसा करने वालों के खिलाफ अधिकतम सात साल की सजा और पांच लाख रुपये तक जुर्माना का प्रावधान है। राज्य के कोल्लम जिले में तालुक अस्पताल में पिछले सप्ताह चिकित्सक वंदना दास की एक मरीज द्वारा सर्जरी में इस्तेमाल होने वाले ब्लेड से हमला कर हत्या दी गई थी। सरकार की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में आज मंत्रिमंडल की बैठक में 'केरल स्वास्थ्य देखभाल सेवा कार्यकर्ता तथा स्वास्थ्य देखभाल सेवा संस्थान (हिंसा व संपत्ति को नुकसान की रोकथाम) संशोधन अध्यादेश 2012' को मंजूरी दी गई। बयान के अनुसार, अध्यादेश के तहत किसी भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता या पेशेवर को गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने के दोषी व्यक्ति को एक साल से सात साल तक के कारावास की सजा दी जाएगी और उस पर एक लाख रुपये से पांच लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। यदि कोई भी व्यक्ति स्वास्थ्य कर्मियों या स्वास्थ्य संस्थानों में काम करने वालों के खिलाफ हिंसा करता है या इसकी कोशिश करता है या ऐसा करने के लिए उकसाता है तो उसे कम से कम छह महीने से पांच साल तक की कैद की सजा तथा 50,000 रुपये से दो लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

संशोधन से पहले तक केरल हेल्थकेयर सर्विस वर्कर्स एंड हेल्थकेयर सर्विस इंस्टीट्यूट्स (हिंसा व संपत्ति को नुकसान की रोकथाम) अधिनियम 2012 के तहत, स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों के खिलाफ हिंसा के किसी भी कृत्य या किसी चिकित्सकीय संस्थान की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए अधिकतम तीन साल की कैद और 50,000 रुपये तक के जुर्माना का प्रावधान था। बयान के अनुसार, मौजूदा असंशोधित कानून में पंजीकृत तथा

अनर्गल (प्रोविजनल) रूप से पंजीकृत चिकित्सक, पंजीकृत नर्स, मेडिकल छात्र, नर्सिंग छात्र और स्वास्थ्य संस्थानों में कार्यरत पैरामेडिकल कर्मी शामिल हैं। अध्यादेश के तहत पैरामेडिकल छात्रों को भी कानून के तहत सुरक्षा प्रदान की जाएगी। बयान में कहा गया, इनके अलावा, पैरामेडिकल कर्मियों, सुरक्षा गार्ड, प्रबंधकीय कर्मचारी, एम्युलेंस चालक, सहायक जो स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में तैनात हैं या उनमें काम करते हैं.. और समय-समय पर आधिकारिक सरकारी राजपत्र में अधिसूचित स्वास्थ्य कार्यकर्ता अध्यादेश के अधीन आएंगे।

बयान में कहा गया, सजा बढ़ाने के अलावा अध्यादेश में कहा गया है कि अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमों की सुनवाई समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए और यह प्रत्येक जिले में विशेष अदालतों को शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए नामित किया जाएगा। अध्यादेश के अनुसार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों की जांच एक ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा की जानी चाहिए जो निरीक्षक के पद से नीचे का न हो और प्राथमिकी दर्ज होने के 60 दिन के भीतर जांच पूरी की जाए। अध्यादेश को अब केरल के राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।



महालक्ष्मी मशीन्स
108, पिण्डर लाना, संसार चंद्र रोड, जयपुर, फोन : 0141-4038738, 93145-29309
पैकिंग सम्बन्धित सभी मशीनें, मैटेरियल व रिपेयरिंग सुविधा उपलब्ध है।

भारत का पसंदीदा स्नैकिंग पार्टनर

बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड
F/196-199, E/188, F/178 वीछवाल इंडस्ट्रियल एरिया, बीकानेर (राजस्थान) भारत 334006, वेबसाइट : www.bikaji.com, ईमेल : cs@bikaji.com
टेलीफोन : 0151-2250350, फैक्स : 0151-2251814 सीआईएन : एल15499आरजे1995पीएलसी010856

31 मार्च 2023 को समाप्त तिमाही एवं वर्ष समाप्त के लिए अनअंकेक्षित समेकित वित्तीय परिणामों का सार

PARTICULARS	समाप्त तिमाही		[All Amounts In INR Lakhs, Unless Otherwise Stated]		
	मार्च 31, 2023 (अंकेक्षित)	दिसंबर 31, 2022 (अनअंकेक्षित)	मार्च 31, 2022 (अंकेक्षित)	मार्च 31, 2023 (अंकेक्षित)	मार्च 31, 2022 (अंकेक्षित)
परिचालनों से कुल आय	46,226.41	50,767.76	40,025.33	1,96,607.22	1,61,096.14
अग्नि हेतु शुद्ध लाभ (कर, अभाव तथा आसामागण मुक्त से पूर्व)	5,140.73	4,161.86	3,345.76	17,064.67	10,501.26
अग्नि हेतु शुद्ध लाभ का से पूर्व (अव्यय तथा आसामागण मुक्त के बाद)	5,140.73	4,161.86	3,345.76	17,064.67	10,501.26
अग्नि हेतु शुद्ध लाभ का परपचात (अव्यय तथा आसामागण मुक्त के बाद)	3,828.62	3,169.39	2,436.94	12,660.37	7,602.81
अग्नि हेतु कुल व्यायक आय [(अग्नि के लिए लाभ/(हानि) (का परपचात) तथा अन्य व्यायक आयों को समिलित करके (का परपचात)]	3,767.86	3,625.21	2,501.05	12,556.22	8,203.66
समता अंश पूर्ण	2,495.10	2,495.10	2,495.10	2,495.10	2,495.10
संचय (पूर्वमूल्य संचय छोड़कर) जैसाकि पूर्व वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनायक में दर्शाया गया है।	-	-	-	92,868.53	79,580.06
प्रति अंश अर्ज (₹. 1/- प्रत्येक का) (जारी तथा बंद प्रचालनों हेतु)- [[आसामागण मुक्तते पहले तथा बाद] के चार्षिक]	1.51	1.32	1.00	5.15	3.15
मूल:	1.51	1.32	1.00	5.14	3.15

नोट्स: सेबी (एलओडीआर) के नियम 47(1) (बी) के अनुसार कंपनी की एकीकृत वित्तीय जानकारी:

विवरण	समाप्त तिमाही		समाप्त वर्ष		
	मार्च 31, 2023 (अंकेक्षित)	दिसंबर 31, 2022 (अनअंकेक्षित)	मार्च 31, 2022 (अंकेक्षित)	मार्च 31, 2023 (अंकेक्षित)	मार्च 31, 2022 (अंकेक्षित)
कारोबार	45,822.54	50,258.56	39,742.47	1,94,438.79	1,57,870.24
कर पूर्व लाभ	5,102.51	3,985.34	3,545.33	17,309.90	10,895.24
कर परपचात लाभ	3,672.54	2,972.07	2,636.06	12,766.94	7,996.34

नोट्स:

उपरोक्त जानकारी व्योवहार वित्तीय परिणामों से उद्धृत की गयी है जो कि सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल की गयी है। इन वित्तीय परिणामों का समूर्ण प्राक्क स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.nseindia.com एवं www.bseindia.com तथा कंपनी की वेबसाइट www.bikaji.com पर उपलब्ध है।



निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल लिमिटेड वारस
सीआईएन : एल15499आरजे1995पीएलसी010856
हस्ताक्षर
दीपक अग्रवाल
प्रबंध निदेशक
DIN-00192890

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 23 मई, 2023

Call : +91-151-2250350 • E-mail: care@bikaji.com • website: www.bikaji.com • Follow us on: f t i o v • Download 'Bikaji Online' App at

AN ISO 9001 AND ISO 22000 CERTIFIED ORGANIZATION